BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 14,000-14,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-श्रीमती शीला पत्नी गंगादास 2-प्रशान्त कुमार पुत्र गंगादास निवासीगण सालाबाद घुमैडा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2019 में दहेज की मांग पुरी न होने पर लाली उर्फ दिप्ती पत्नी प्रशान्त कुमार की जहर देकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 01.12.2019 को थाना बीबीनगर पर मुअसं- 203/2019 धारा-498ए, 304बी भादवि व ¾ दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.02.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.11.2023 को मा0 न्यायालय एफटीसी-01 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण श्रीमती शीला व प्रशान्त कुमार को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 14,000-14,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर